


218/23

उभयपक्ष के वकील उपाय वकील प्रदीप
 शर्मा-यह अंतर्गत धारा 151 CPC वाले विज्ञापन
 प्रकाशित होने पर प्रदीप-यह प्रस्तुत विज्ञापन वकील प्रदीप
 ने प्रदीप-यह प्रतीति को गैरवात हुआ निवेदन
 किया कि प्रकरण में पणित द्वारा जी को प्रदीप
 द्वारा कुछ उच्च नामान्तरकरण वस्ती के अर्थ
 सिद्ध होगा प्रकरण में कुछ कोई कार्यवाही बीच
 नहीं है। प्रदीप प्रकरण में जारी कोई कार्यवाही नहीं
 चाहता है व ना ही प्रकरण जारी चलाना चाहता
 है। अतः प्रस्तुत प्रदीप-यह अन्वीक्षा करके इसे प्रदीप
 पर ही इसी अन्वय पर अवधि विज्ञापन निरस्त/अखिल
 अन्वय करके दे आदेश प्रकाशित। उपरोक्त तर्कों
 के परिपन्ना में प्रदीप को विज्ञापन प्रदीप-यह अन्वीक्षा
 किया जाकर कुल प्रदीप-यह इसी अन्वय पर देनी

Laxmi
 LAXMI SHARMA
 2 Confused by me
 8/11/11

इससे विज्ञान के ज्ञान से व्यापक विद्वान्, जाना
जाए। पञ्चाली प्रेमलक्ष्मी देवी नरेश से एक
माँ


(राजेंद्र सिंह)
कलेक्टर अजमेर